



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-30052026-272988
CG-BR-E-30052026-272988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2590]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2590]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

पटना, 20 मई, 2026

का.आ. 2683(अ).—रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा नामित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग, कोडरमा एवं चतरा को उक्त अधिनियम के तहत झारखंड राज्य के अंतर्गत “कोडरमा- बरकाकाना (अरिगड़ा) (133.00 किमी)” दोहरीकरण रेलवे लाइन परियोजना जो विशेष रेलवे परियोजना का हिस्सा है कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में एतद द्वारा अधिकृत किया जाता है, जो भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

[फा.सं. डीसीई/कॉन/एचजेडएमई/कोडरमा- बरकाकाना (अरिगड़ा)/]

राजीव गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(East Central Railway)****NOTIFICATION**

Patna, the 20th May, 2026

S.O. 2683(E).—In Exercise of Power conferred under clause 7A of Section 2 of the Railway (Amendment) Act 2008, the District Land Acquisition Officer, Hazaribagh, Koderma&Chatra, as nominated by State Government is hereby authorized as competent authority to perform the function of such authority under the said act in the area of “Koderma – Barkakana (Arigada) Doubling line towards Arigada(133.00Km)”. which is part of Special Railway Project, in the state of Jharkhand with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

[F. No. DCE/Con/HZME//Koderma – Barkakana(Arigada)/]

RAJIV GUPTA, CAO/Con